एक नजर में

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

खण्डवा। वॉट्सअप,फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अत: ग्रुप एडमिन से कहा गया है कि वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश आगामी 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

जीपीएफ के गुमशुदा कटौत्रों के निराकरण के लिए 16 दिसम्बर को लगेगा शिविर

खण्डवा। महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा शासकीय सेवकों के जीपीएफ गुमशुदा कटौत्रे, निष्क्रिय जीपीएफ खाते एवं अप्रविष्ट मदों के निराकरण के लिये इंदौर कोषालय में शिविर आयोजित कर संभाग के सभी जिलों से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला कोषालय अधिकारी श्री आर. एस. गवली ने बताया कि खण्डवा जिले के लिए आगामी 16 दिसम्बर तिथि निर्धारित की गई है। यह शिविर जिला कोषालय इन्दौर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने खण्डवा जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यालय से सम्बंधित अधिकारी कर्मचारियों के गुमशुदा कटौत्रे, निष्क्रिय खातों, पार्ट वांट व फुल वांट एवं अप्रविष्ट मदों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपने कार्यालय के प्रतिनिधि को इस शिविर में भेजें। जिला कोषालय अधिकारी श्री गवली ने आहरण संवितरण अधिकारियों से अपील की है कि जीपीएफ के प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित दस्तावेज जैसे सामान्य भविष्य निधि कटौत्रा पत्रक, वेतन देयक, चालान की प्रति, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि की प्रमाणित प्रति सहित इन्दौर के शिविर में उपस्थित हों।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों के विवरण संबंधी जानकारी थानों को उसी दिन दे दी जाये। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों की तथा घरेलू नौकरों के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी 5 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

सांसद पाटिल ने सांसद निधि से 20 ग्रामों के लिए टेंकर किए वितरित

खंडवा। चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के विकास के साथ लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जहां क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय एवं प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर विकास कार्यों की सौगात लाकर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जल समस्या के निदान के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सांसद निधि के माध्यम से 20 ग्रामों के लिए टेंकरो की स्वीकृति प्रदान की। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि शनिवार को सांसद निवास पर 20 ग्रामों के सरपंचों सचिवों के साथ जनप्रतिनिधियों को बुलाकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने टैंकरों का पूजन कर उन्हें सरपंच सचिवों को सोंपा। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि गुलगांव रैयत, सुलगांव, छापली खुर्द,सिंगाजी, फेफरी कंला, जामलीराजगढ़, भिलाई खेड़ा, नानखेड़ा, हतिंया खेडा, कुदाल्दा, छीरवा रैयत, रामपुरा, काल्दाखेडी, चीचखेडा, घाटी खास, अंजनगांव, कोहदड, छैगांव माखन, निहालवाड़ी ग्राम पंचायत के सभी टैंकरों को सांसद श्री पाटिल ने हरी झंडी दीखाकर गांव की ओर रवाना भी किया। इस अवसर पर सांसद श्री पाटिल के साथ हरीश कोटवाले, प्रवक्ता सुनील जैन, तपन डोंगरे, सागर आरतानी,चंद्रेश पचौरी अनूप पटेल, दिनेश पालीवाल, पुनीत चौरसिया, अशोक पटेल, प्रशांत मिश्रा, तेजेंद्र बाथम, जितेंद्र सिसोदिया, संटी चौबे के साथ पार्टी के पदाधिकारी एवं ग्राम के सरपंच सचिव भी उपस्थित थे।

बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्शन पर प्रतिबंध

खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश अनुसार आगामी 5 फरवरी 2026 तक हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा। जारी आदेशानुसार आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि रैली व जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे,बेनर,पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी.

NAME CHANGE

I SHELENDRA WANI Here By declare that I have change My name as SHAILENDRA VANI so from now in future I will be known by my new name SHAILENDRA VANI for all future purposes.

Address-S/O 1159 BAJAR CHOUK WARD NO 16 SUSARI PO SUSARI DISTT DHAR MP 454331

कलेक्टर गुप्ता ने किया खंडवा नगर की वार्ड सभाओं का निरीक्षण

नवभारत न्यूज

खण्डवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का लिया जायजा

इसी क्रम में सोमवार को जिले के सभी गांवों में ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में वार्डसभा आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने सोमवार शाम को खण्डवा नगर के 3 मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर वहां आयोजित वार्डसभा का निरीक्षण किया।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने सूरजकुंड स्कूल, मोहनलाल वर्मा स्कूल तथा हाई स्कूल रामनगर में आयोजित वार्डसभा में उपस्थित मतदाताओं और बूथ लेवल एजेंट तथा वार्ड पार्षदों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के सम्बंध में पूछताछ की। उन्होंने मतदान केन्द्रों के बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी गंभीरता से करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने वार्ड पार्षद और बूथ लेवल एजेंटों से कहा कि मृत हो चुके, अन्यत्र शिफ्ट हो चुके तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की अनंतिम सूची को अच्छी तरह देखकर पुष्टि कर लें और उसके बाद ही सत्यापित करें।

इस दौरान खण्डवा एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सावले एवं नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान

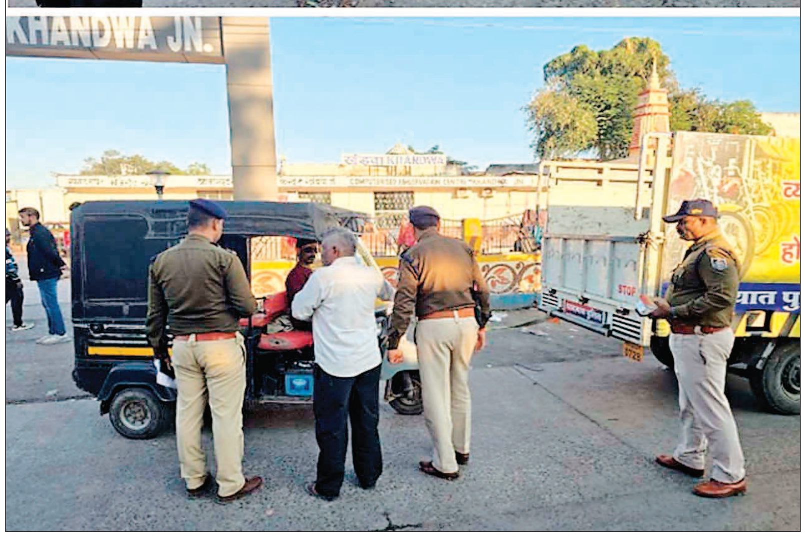

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता चालकों के विरूद्ध दिनांक 26.11.2025 से 10.12.2025 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सोमवार को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट खंडवा व पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात निरी.देवेन्द्र सिंह परिहार व प्रभारी थाना कोतवाली उनि मनोज दवे के द्वारा अपने स्टाफ के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन के सामने 'नो पार्किंग' क्षेत्र से अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

इस अभियान में रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी अवैध ऑटो वाहनों को जब्त कर थाना यातायात ले जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई।

जिला पुलिस की यह कार्यवाही रेल यात्रियों की सुविधा, ट्रैफिक प्रवाह व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उक्त अभियान के तहत ऑटो चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर, वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई, कि भविष्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। रेलवे स्टेशन की पार्किंग मे 25 ऑटो चालक पूर्ण वर्दी मे एवं ऑटो के सभी दस्तावेज साथ रख कर पार्किंग एरिया में पिक एण्ड ड्रॉप करने हेतु प्रवेश कर सकेंगे।

जिले मे अभियान के तहत 55 दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना वर्दी, बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने वाले,तेज गति, बिना बीमा वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने किया कलेक्टर का सम्मान

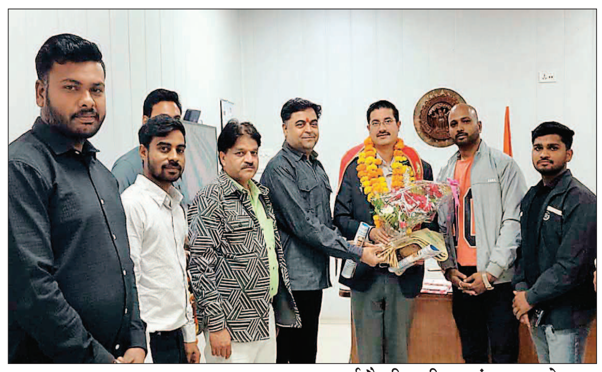

नवभारत न्यूज

खंडवा। जल संचय, जन भागीदारी' अभियान के तहत जल संरक्षण में देश मे प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का असेंबली ऑफ एम पी जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में सम्मान किया गया।इस अवसर पर देवास जिले के पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष पंडित प्रमोद मेहता के नेतृत्व में उपस्थित रहा। कलेक्टर गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर साधना न्यूज़ के स्टेट पॉलिटिकल एडिटर जिग्नेश पटेल ने कलेक्टर गुप्ता की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे जिले का सौभाग्य है कि श्री ऋषभ जी गुप्ता के हाथों में प्रशासनिक तंत्र की कमान हैं,जिनके द्वारा तत्परता के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ ही आमजन के लिए सहजता से हर समय उपलब्ध रहते हैं।

इस अवसर पर साधना न्यूज़ के स्टेट पॉलिटिकल एडिटर जिग्नेश पटेल,सुमित काले,महेश पटेल, रोहन राठौर, देवास के वरिष्ठ पत्रकार पंडित प्रमोद मेहता, कन्नौद राजेंद्र योगी बागली, दुर्गेश पवार, पुष्पेंद्र सारदीया, दीपक वर्मा सहित खंडवा और देवास असेंबली ऑफ एम पी जर्नलिस्टस यूनियन के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

ग्राम कालापाठा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर मांजरी नदी पर बनाया 'बोरी बंधान'

नवभारत न्यूज

खण्डवा। खण्डवा जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशन में ''मिशन अमृत संचय'' अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत नदी नालों में बहते पानी को रोककर आसपास के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गांव-गांव में बोरीबंधान संरचनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा रविवार को खालवा विकासखंड के ग्राम कालापाठा में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने माजरी नदी पर श्रमदान कर बोरी बंधान संरचना निर्मित की। कार्यक्रम का आयोजन नवांकुर संस्था -सत्य प्रबोधन सामाजिक शैक्षिक संस्थान एवं एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कालापाठा के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर विकास खण्ड समन्वयक श्री ललित पवार ने जल संचय अभियान के संबंध में अपने विचार रखे।

बोरीबन्धान निर्माण के लिए आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कालापाठा से ईश्वर सिंह पटेल, परामर्शदाता तीरथ सिंह देवड़ा, एवं सीएम सीएलडीपी पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू के छात्र भी उपस्थित थे।

अवैध शराब,गुंडे-बदमाशों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में 01 गिरफ्तारी,11 स्थाई, 26 जमानती वारंट, 71 समन जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

जिले के विभिन्न थानों में 03 असामाजिक तत्वो के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 01 प्रकरणों मे 01 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरणों मे 02 अनावेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 01 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।

अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना थाना किल्लौद के आरोपी करण सिंह चौहान पिता घासीराम चौहान जाति बंजारा उम्र 53 साल निवासी ग्राम गंभीर के कब्जे से अवैध 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी को सूचना पत्र तामिल कर आरोपी को रूकसत किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

जिला खंडवा मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट न लगाने वाले, तेज गति, बिना एचएस आरपी, बिना वैध बीमा वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 74 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं समन शुल्क 34600/-रुपए वसूल किए गए है।

उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के चिन्हित नामों की सूची का वाचन करवाया

नवभारत न्यूज

खण्डवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिले के सभी गांवों में ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में वार्डसभा आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने सोमवार को जिले के ग्राम नहाल्दा और अमलपुरा का दौरा कर ग्रामसभा का निरीक्षण किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सावले भी इस अवसर पर मौजूद थे।

कलेक्टर ने ग्रामसभा में गांव के बीएलओ के माध्यम से गांव के मृत, स्थानांतरित,अनुपस्थित और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के चिन्हित नामों की सूची का वाचन करवाया। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की उपस्थिति में मौके पर मौजूद ग्रामीणों से इस सूची में दर्ज नामों की पुष्टि की गई।

कलेक्टर ने इस अवसर पर ग्रामीणों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के शुद्धिकरण के उद्देश्य से वर्तमान में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, तथा सूची में दर्ज मतदाताओं में से मृत हो चुके तथा अन्यत्र विस्थापित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। कलेक्टर ने बताया कि आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार 16 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा तथा 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

खेल प्रतियोगिता — **खेल न केवल शारीरिक विकास करते हैं , बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं : विधायक कंचन तनवे**

राज्य स्तरीय 69वीं शालेय पिट्टू प्रतियोगिता का विधायक ने किया शुभारंभ

नवभारत न्यूज

खंडवा। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय शालेय पिट्टू प्रतियोगिता (अंडर-19 बालक-बालिका) कार्यक्रम में खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे सम्मिलित हुई। विधायक तनवे ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 9 संभागों से आए खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने खेल भावना एवं अनुशासन का परिचय देते हुए सहभागिता की। पंधाना विधायक छाया मोरै ने खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उपस्थित जनों एवं खिलाड़ियों को खेल नीयमो की की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में खंडवा विधायक कंचन तंनवे, पंधाना विधायक छाया मोरे, राजपाल सिंह तोमर सूरजपाल सिंह सोलंकी, हरीश कोटवाले, दिनेश पालीवाल, प्रवक्ता सुनील जैन निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, भावेश बिल्लौरे, संदेश गुप्ता, पीयूष शर्मा, स्थानीय पार्षदगण सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

विधायक कंचन मुकेश तनवे ने अपने संबोधन में कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास करते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल जरूरी है अत: युवा पीढ़ी ने कोई ना कोई खेल से लगाव रखना चाहिए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।